प्रेषक,

संख्या : / 2017–1(9)/2011

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम)

देहरादून : दिनांक 15 मई, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जल संभर घटक) समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम के लिये भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31.03.2017 एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्रसंख्या 2631/3–2(ब) IWMP दिनांक 21.03.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जल संभर घटक) समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम के लिये भारत सरकार के पत्रसंख्या K–11013/06/2016/IWMP (Uttarakhand) दिनांक 22.02.2017 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 492.00 लाख शासनादेश संख्या 107/ज0प्र0अनु0/2017–1(9)/2011 दिनांक 17.03.2017 द्वारा अवमुक्त कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त केन्द्रांश के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि में से राज्यांश की धनराशि रू0 54.67 लाख (रू0 चौवन लाख सडसठ हजार मात्र) निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017–18 में नियमानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि को SLNA के सम्बन्धित परियोजना निदेशक मुख्यालय के निवर्तन पर रख दिया जायेगा।

2(1) उक्तानुसार निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन/व्यय योजना हेतु लागू वर्तमान नियमों, आदेशों, निर्धारित मानकों, समय–समय पर राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशों/गाईड लाईन्स के अनुसार उसी कार्य/योजना हेतु किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

2(2) उक्तानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग किसी ऐसे व्यय का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

2(3) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाआवश्यकता किश्तों में आहरण किया जायेगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

2(4) उक्तानुसार एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

2(5) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता का प्रमाण पत्र शासन एवं भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाय।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के "अनुदान संख्या–17" के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2401–फसल कृषि कर्म– 001–निदेशन तथा प्रशासन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0102 पी0एम0के0एस0वाई0/समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31.03.2017 में विहित व्यवस्था के कम में WWW.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई0डी S1705170118 के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 05 / XXVII(4)/2017 दिनांक 05 मई,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या : 273 (1)/ 2017–1(9)/2011 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त कुमांयू मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
5. उप वन महानिरीक्षक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, छठा तल 11वॉ ब्लाक सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स लोधी रोड़ नई दिल्ली–110003।
6. निदेशक कोषागार उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
7. परियोजना निदेशक, आई0डब्ल्यू0एम0पी0, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग–4/ नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव,